भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1048
08 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

1048. **श्री विनायक भाऊराव राऊत:**
श्री ओम पवन राजेनिम्बालकर

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों को समुचित आवास प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए प्रत्येक लाभार्थी को राजसहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु राजसहायता शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास के निर्माण हेतु एक समान राजसहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि शहरों में भवन निर्माण सामग्री की उपलब्धता आसान होने के कारण ग्रामीण आबादी को शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का भवन निर्माण सामग्री और श्रम के बढ़ते मूल्यों के मद्देनजर उक्त योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए राजसहायता बढ़ाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (घ): जी, हां। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देशभर में बेघर लोगों सहित सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) - 'सबके लिए आवास' मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबंद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पीएमएवाई-यू के तहत आईएसएसआर के तहत 1.0 लाख रु., एएचपी और बीएलसी घटकों के लिए 1.5 लाख रु. की केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान कर रहा है। योजना के सीएलएसएस घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणी के लाभार्थियों के लिए प्रति आवास 2.67 लाख रु. तक 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई है।

29.01.2024 तक, पीएमएवाई-यू के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय द्वारा कुल 118.63 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से शहरी क्षेत्रों में 114.01 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 80.02 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण आवासों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के आवास के निर्माण में सहायता की जा सके। पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित 2.95 करोड़ आवासों के कुल लक्ष्य में से, 2.94 करोड़ से अधिक आवास पहले ही लाभार्थियों के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.55 करोड़ से अधिक आवास 02.02.2024 तक पहले ही पूर्ण किए जा चुके हैं।

पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों के लिए 1.20 लाख रु. और पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित), दुर्गम क्षेत्रों

और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) वाले जिलों में 1.30 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) या वित्त पोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ संमिलन करके शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000/- रु. की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इसके अलावा, एमजीएनआरईजी योजना के साथ संमिलन करके अपने आवास के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी लाभार्थी को मौजूदा दरों पर 90/95 श्रम दिवस के अकुशल मजदूरी रोजगार सहायता देना अनिवार्य है। पीएमएवाई-जी परिवारों को अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ संमिलन करके जल, एलपीजी और बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं। 02.02.2024 तक पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित लक्ष्यों, पात्र लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवास और पूर्ण आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ड.) से (छ): पीएमएवाई-यू दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमएवाई-यू के तहत लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/लाभार्थियों द्वारा साझा की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, पीएमएवाई-यू अवधि, जो पहले 31 मार्च 2022 तक थी, को योजना के सीएलएसएस घटक को छोड़कर, 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि सभी स्वीकृत आवासों को वित्त पोषण पद्धति और कार्यान्वयन कार्य प्रणाली बदले बिना पूरा किया जा सके। मंत्रालय योजना के इस चरण में केंद्रीय सहायता में किसी प्रकार के बदलाव पर विचार नहीं कर रहा है।

पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली यूनिट सहायता केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार है और वर्तमान में, पीएमएवाई-जी के तहत यूनिट सहायता में बढ़ोतरी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1048 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।

पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत आवास (संख्या)	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	पूर्ण किए गए आवास (संख्या)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	21,32,432	20,07,521	9,08,790
2		बिहार	3,24,996	3,03,692	1,17,948
3		छत्तीसगढ़	3,02,663	2,85,088	2,11,129
4		गोवा	3,146	3,146	3,144
5		गुजरात	10,05,204	9,80,734	8,97,516
6		हरियाणा	1,15,034	93,042	66,727
7		हिमाचल प्रदेश	12,758	12,466	9,942
8		झारखण्ड	2,29,156	2,13,407	1,36,755
9		कर्नाटक	6,38,121	5,96,111	3,35,251
10		केरला	1,66,752	1,47,034	1,19,157
11		मध्य प्रदेश	9,61,147	9,45,324	7,49,630
12		महाराष्ट्र	13,95,199	11,15,241	8,32,932
13		ओडिशा	2,03,380	1,73,792	1,40,632
14		पंजाब	1,32,235	1,15,021	80,065
15		राजस्थान	2,89,446	2,58,011	1,79,535
16		तमिलनाडु	6,81,795	6,62,397	5,55,316
17		तेलंगाना	2,50,084	2,44,219	2,24,410
18		उत्तर प्रदेश	17,72,301	17,01,637	13,87,567
19		उत्तराखंड	65,519	56,044	33,096
20		पश्चिम बंगाल	6,68,953	6,12,564	3,86,974
उप-योग (राज्य)			1,13,50,321	1,05,26,491	73,76,516
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,499	8,360	7,120
22		असम	1,76,643	1,57,508	94,792
23		मणिपुर	56,037	48,461	13,215
24		मेघालय	4,758	3,789	1,205
25		मिजोरम	39,605	39,215	7,677
26		नागालैंड	31,860	31,841	19,048
27		सिक्किम	594	451	209
28		त्रिपुरा	89,068	84,588	69,783
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)			4,07,064	3,74,213	2,13,049
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	376	376	47
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256
31		दा. व न. हवेली और द. व दीव	10,468	10,196	9,181
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976
33		जम्मू एवं कश्मीर	47,040	41,473	21,204
34		लद्दाख	1,307	1,014	784
35		लक्षद्वीप	-	-	-
36		पुदुचेरी	15,265	14,757	9,322
उप-कुल (UTs)			1,05,688	99,048	71,770
कुल			118.63 लाख	114.00 लाख*	80.02 लाख*

* मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण (3.41 लाख)/निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।

08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1048 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित लक्ष्यों, पात्र लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवासों और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(इकाइयाँ संख्या में)

क्र.सं	राज्य का नाम	आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृत आवास	पूर्ण किए गए आवास
1	अरुणाचल प्रदेश	36,210	36,112	28,530
2	असम	20,41,807	20,13,178	17,78,771
3	बिहार	37,01,576	37,01,481	36,45,340
4	छत्तीसगढ़	11,76,142	11,76,142	9,65,195
5	गोवा	257	257	226
6	गुजरात	6,03,922	6,03,712	5,12,131
7	हरियाणा	29,404	29,404	28,278
8	हिमाचल प्रदेश	25,471	25,471	15,022
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,37,129	3,36,979	2,03,751
10	झारखंड	15,92,171	15,92,168	15,58,249
11	केरल	35,167	35,164	32,838
12	मध्य प्रदेश	38,00,415	38,00,338	36,39,792
13	महाराष्ट्र	13,77,817	13,77,047	12,12,942
14	मणिपुर	1,01,558	1,01,550	30,486
15	मेघालय	1,88,297	1,88,295	46,178
16	मिजोरम	29,967	29,967	9,268
17	नागालैंड	48,830	48,830	9,521
18	ओडिशा	27,26,133	27,26,006	20,24,500
19	पंजाब	39,729	39,726	35,997
20	राजस्थान	17,17,996	17,17,553	16,82,383
21	सिक्किम	1,400	1,399	1,275
22	तमिलनाडु	7,51,421	7,50,541	5,95,058
23	त्रिपुरा	3,77,057	3,77,030	3,28,357
24	उत्तर प्रदेश	36,15,041	36,14,953	34,89,725
25	उत्तराखंड	69,303	69,282	48,252
26	पश्चिम बंगाल	45,69,532	45,69,447	34,10,992
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,424	3,424	1,225
28	दादरा और नगर हवेली	11,278	11,278	3,807
29	दमन और दीव	158	158	16
30	लक्षद्वीप	45	53	45
31	पुदुचेरी	0	0	0
32	आंध्र प्रदेश	2,46,430	2,46,430	67,569
33	कर्नाटक	2,41,908	2,41,866	1,22,009
34	तेलंगाना	0	0	0
35	लद्दाख	3,005	3,004	2,868
	कुल	2,95,00,000	2,94,68,245	2,55,30,596

नोट: तेलंगाना और पुडुचेरी पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं।